न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

आदेश

एस0ए0आर0 वाद सं0 04/2018–19

प्रथम पक्ष.......... ललु बड़ाईक ....आवेदक

बनाम

द्वितीय पक्ष .... मनीभुषण साहु .... विपक्षी

30.9.22 प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्रवाई आवेदक (प्रथम पक्ष) ललु बड़ाईक पिता – स्व0 जोधा बड़ाईक, ग्राम – लोंगा, थाना – बसिया, जिला – गुमला के आवेदन पर प्रारंभ किया गया है। आवेदक द्वारा लिखा गया है कि विपक्षी (द्वितीय पक्ष) मनीभुषण साहु, पिता – स्व0 अमृत साहु, ग्राम – लोंगा, थाना – बसिया, जिला – गुमला द्वारा उनके जमीन को नजायज तरीके से हस्तांतरण कराकर दखल में है। प्रथम पक्ष ललु बड़ाईक के आवेदन पर विचारोपरांत अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 अन्तर्गत वाद ग्रहण कर संबंधित उभय पक्षो को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही अंचल अधिकारी, बसिया से वादगत भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है।

वाद सं0 – 04/2018–19 अन्तर्गत वादगत भूमि की विवरणी निम्नलिखित है :–

मौजा	थाना	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
लोंगा	**बसिया**	**63**	**495**	**0.60 ए0**

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद आवेदक ललु बड़ाईक के द्वारा जमीन वापसी के लिए विपक्षी के विरूद्ध लगाया गया है। प्रस्तुत वाद जमीन मौजा लोंगा के खाता सं0 – 63, प्लॉट सं0 – 495, रकबा – 0.60 एकड़ भूमि से संबंधित है जो आर0एस0 सर्वे खतियान के आधार पर बलदेव चीक वल्द मुकुन्द चीक व जयमंगल चीक, पिता – शहदेव चीक, जाति – चीक के नाम कायमी दर्ज है जिसकी वंशावली निम्नलिखित है :–

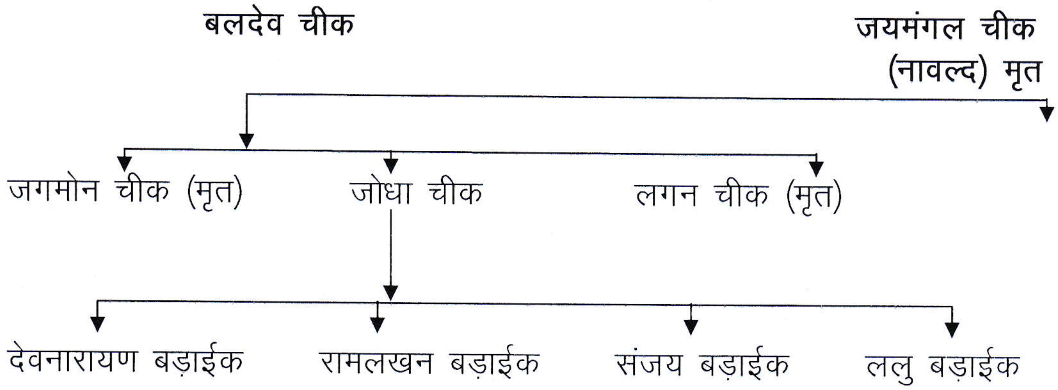

प्रश्नगत भूमि आवेदक की खतियानी जमीन को विपक्षी मनीभूषण साहू नजायज तरीके से कब्जा किए हैं और आवेदक के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण विपक्षी द्वारा इसका लाभ उठाया गया है। जमीन को विपक्षी ठग फुसलाकर नजायज तरीके से जमीन पर कब्जा किए हैं और उपायुक्त के अनुमति के बिना दशमी देवी, पति स्वर्गीय जोधा चिक से रजिस्ट्री कराया जो गलत और विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त जमीन सम्मिलात जमीन है और उस जमीन का जमाबंदी भी संयुक्त रूप से आवेदक के पूर्वजों के नाम से कायम है। उक्त जमीन आदिवासी जमीन है और आवेदक अनुसूचित जनजाति में आते हैं जो चीक बड़ाईक जाति के सदस्य हैं (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)। उक्त जमीन का स्थानांतरण में उपायुक्त की अनुमति नहीं ली गई है और जमीन का स्थानांतरण छल प्रपंच एवं नजायज तरीके से किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है और कानून के विपरीत है । उक्त वाद में जमीन का स्थानांतरण छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 46 का उल्लंघन हुआ है। अंचल अधिकारी, बसिया के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जमीन का हस्तांतरण निबंधित पट्टा से सन 2002 में हुआ है और प्रस्तुत वाद 2017 में लाया गया है। अर्थात जमीन का अंतरण की तिथि लगभग 15 वर्षों से है जो आवेदन में भी उल्लेखित है। अंचल के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है केवल ईट निर्माण हेतु गड्ढा खोदकर उपयोग किया जा रहा है ।

श्रीमान से अनुरोध होगा कि झारखंड अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 छोटानागपुर टेनेंसी संशोधन अधिनियम 1969 के अधीन की आवेदन को प्रश्नगत जमीन वापस किया जाए और उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 खतियानी की छाया प्रति।

2 बण्डा पर्चा की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद द्वितीय पक्ष के विरूद्ध में एस0ए0आर0 वाद लाया गया है वह न्याय संगत नहीं है तथा वाद खारिज करने योग्य है।

मौजा लौंगा थाना संख्या – 140 थाना बसिया, जिला गुमला के खाता संख्या 63 प्लॉट नंबर 495 रकबा 1.17 डिसमिल में से 0.57 डिसमिल भूमि से संबंधित है। जिसका खतियान रैयत बलदेव चीक वल्द मुकुंद चीक वो जयमंगल चीक वल्द सहदेव चीक कौम चीक के नाम से बना है। चीक जाति आदिवासी श्रेणी में नहीं आते हैं, चीक बड़ाईक आदिवासी श्रेणी में आते हैं। खतियानी रैयत का वंशावली इस प्रकार है :–

बलदेव चीक **जयमंगल चीक (नावल्द) मृत**

जगमोन चीक (मृत) जोधा चीक(मृत) लगन चीक (मृत)

दशमी देवी (पत्नी)
जमीन विक्रेता

देवनारायण बड़ाईक रामलखन बड़ाईक संजय बड़ाईक ललु बड़ाईक (आवेदक)

उपरोक्त खाता नंबर 63 प्लॉट नंबर 495 रकबा 1.17 डिसमिल में से 0.57 डिसमिल भूमि को आवेदक की मॉ मसोमात दशमी देवी पति स्वर्गीय जोधा चीक जाति चीक थे। विपक्षी के पिता अमृत साहू पिता स्वर्गीय नारायण साहू का रजिस्ट्री पट्टा 705 दिनांक 03.04.2002 ई0 में बिक्री बैला कलामी लिख दी गई है। अंचल कार्यालय बसिया के पत्रांक 245 दिनांक 19.02.2002 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत है। जिसके आधार पर चीक जाति के सदस्य हैं वो अंचल कार्यालय बसिया के जाति प्रमाण पत्र संख्या 516 दिनांक 05.04.2002 में निर्गत है। इस पट्टा का गवाही पहचान आवेदक का भाई देवनारायण चीक , पिता स्वर्गीय जोधा चीक है। क्रेता रजिस्ट्री पट्टा संख्या 705 दिनांक 03.04.2002 के खरीदगी में दखलकार होकर अपना नाम से अंचल कार्यालय बसिया से दाखिल खारिज कराये हैं। दाखिल खारिज वाद संख्या 116आर 27/2003–04 है। शुद्धि पत्र एवं सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत है। उस वक्त आवेदक एवं खतियानी रैयत के वंशज कोई आपत्ति दर्ज नहीं किये। आवेदक के आवेदन पत्र में जमीन वापसी का दावा पेश किया गया है, बिंदुवार लिखित जवाब :–

कंडिका 1. आवेदक का पूरा विवरण सही है

कंडिका 2. क्या आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं – जी नहीं। संविधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 के अनुसार चीक बड़ाईक एवं है चीक जाति नहीं है। संविधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में फेरबदल नहीं हुआ है ना संशोधन हुआ है, लेकिन खतियान में कौम–चीक दर्ज है। झारखंड सरकार राजभाषा विभाग रांची के पत्रांक –7/झा0नि0सं0 32/2000 का 6327/ रॉची दिनांक – 20 नवम्बर 2022 ई0 में एवं उपायुक्त, गुमला के पत्रांक – 275 (ii)/सा0शाखा, गुमला दिनांक – 10.04.2013 के आलोक में स्थानीय जांच, रहन–सहन, वेश–भूषा खान–पान, लोकाचार तथा संस्कृति के आधार पर आवेदक को झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति में चीक बड़ाईक जाति सदस्य हैं । कार्यालय अंचल अधिकारी बसिया क्रमांक 079 दिनांक – 26.10.2015 जाति प्रमाण पत्र निर्गत है एवं झारखंड राज्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड के विशेष सचिव के ज्ञापांक – 7/होल्डींग नीति 20/2009–591/रा0 रॉची दिनांक – 01.03.2012 के अनुसार चीक बड़ाईक अनुसूचित जनजाति के तालिका में है एवं चीक सामान्य जाति के तालिका में है।

कंडिका 3. वापसी की जाने वाली जमीन का विवतरण – खाता नंबर 63, प्लॉट – 495, रकबा – 1.17 डी0 में से 0.57 डी0भूमि विपक्षी के पिता अमृत साहु, पिता – स्व0 नारायण साहु का खरीदगी जमीन है। रजिस्ट्री पट्टा सं0 – 705 दिनांक – 03.04.2002 ई0 में है।

कंडिका 4 – जिस व्यक्ति का दखल में जमीन है विवरण – विपक्षी का दखल में जमीन है विपक्षी के पिता स्वर्गीय अमृत साहू का खरीद की जमीन है।

कंडिका 5– वापस की जाने वाली जमीन के अंतरण संबंधी विवरण – (क) जमीन के अंतरण तिथि रजिस्ट्री पट्टा 705 दिनांक 03.04.2002 ई0 है दाखिल खारिज वाद संख्या 116आर 27/03–04 है।

(ख) जमीन का अंतरण– विपक्षी के पिता अमृत साहू, पिता स्वर्गीय नारायण साहू का रजिस्ट्री पट्टा 705 दिनांक 03.04.2002 के द्वारा प्राप्त किया है । अंचल कार्यालय बसिया के पत्रांक 245 दिनांक 19.02.2002 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत है । जिसके आधार पर चीक जाति के सदस्य हैं जो अंचल कार्यालय बसिया के जाति प्रमाण पत्र संख्या 516 दिनांक 05.04.2002 निर्गत है

(ग) उत्तर – चीक सामान्य जाति में आते है। अंचल अधिकारी बसिया का जाति प्रमाण पत्र निर्गत है जिसमें चीक सामान्य जाति के अंतर्गत आते हैं इसलिए उपायुक्त, गुमला से बिना अनुमति लिए रजिस्ट्री हुआ है जिसका रजिस्ट्री पट्टा संख्या 705 दिनांक 03.04.2002 है।

(घ) उत्तर – अंचल अधिकारी बसिया के पत्रांक 245 दिनांक 19.02.2002 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत है जिसके आधार पर चीक जाति के सदस्य हैं जो अंचल कार्यालय बसिया के जाति प्रमाण पत्र संख्या 516 दिनांक 05.04.2002 निर्गत है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत के आधार पर जमीन विक्रेता विपक्षी के पिता अमृत साहू पिता स्वर्गीय नारायण साहू से 29000 रुपए लेकर विपक्षी के पिता को जमीन बिक्री कर दिया है जिसका रजिस्ट्री पट्टा संख्या 705 दिनांक 03.04.2002 ई0 है।

कंडिका 6 – उत्तर – खरीद की जमीन में विपक्षी कुआं का निर्माण किया है साथ में बाउंड्री वाल चारों तरफ किया गया है बाउंड्री वाल पत्थर पक्का सीमेंट घेरा किया गया है।

कंडिका 7– अंचल अधिकारी बसिया के संख्या 245 दिनांक 19.02.2002 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत है जिसके आधार पर चीक जाति के सदस्य हैं जो आवेदक के पिता के नाम से बना था उसी के आधार पर आवेदक की मां दशमी देवी, पति – स्वर्गीय जोधा चीक वो अंचल अधिकारी बसिया के जाति प्रमाण पत्र संख्या 516 दिनांक 05.04.2002 निर्गत है। आवेदक की मॉ दशमी देवी विपक्षी के पिता अमृत साहू को जमीन बिक्री कर दी गई है जिसका रजिस्ट्री पट्टा संख्या 705 दिनांक – 03.04. 2002 है। उस वक्त आवेदक का उम्र 19 वर्ष था।

अंचल कार्यालय, बसिया के पत्रांक 245 दिनांक 19.02.2002 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत है जिसके आधार पर चीक जाति के सदस्य हैं वो अंचल कार्यालय, बसिया के जाति प्रमाण पत्र संख्या 516 दिनांक 05.04.2002 निर्गत है। जमीन विक्रेता पट्टा सं0 705 दिनांक – 13.03.2022 में विपक्षी के पिता अमृत साहु, पिता – स्व0 नारायण साहु को जमीन बिक्री हुई है। उस समय आवेदक भी सामान्य जाति के अंतर्गत आते हैं। चूँकि आवेदक का जाति प्रमाण पत्र निर्गत अंचल अधिकारी बसिया के क्रमांक 079 दिनांक – 16.10.2015 है जो झारखंड सरकार राजभाषा विभाग रांची के पत्रांक 7/झा0नि0सं0 32/2000 का 6327/ रॉची दिनांक – 20 नवम्बर 2022 ई0 के आधार पर बना है। दिनांक 20 नवंबर 2002 ई0 पूर्व आवेदक सामान्य जाति में आते हैं। दिनांक 20 नवंबर 2002 ई0 के पूर्व विपक्षी के पिता अमृत साहू रजिस्ट्री पट्टा संख्या 705 दिनांक 03.04.2002 ई0 का है इसलिए विपक्षी के विरुद्ध एस0ए0आर0 लागू नहीं होना चाहिए। अंचल का जांच रिपोर्ट विपक्षी का समर्थन में जांच रिपोर्ट है। खाता नंबर 63 प्लॉट नंबर 495 रकबा 1.17 डी0 में से 0.57 डी0 जमीन को दशमी देवी पति स्वर्गीय जोधा चीक, ग्राम लोंगा, थाना बसिया की विपक्षी पिता अमृत साहू, पिता नारायण साहू ग्राम लोंगा, थाना बसिया, जिला गुमला से करार के मुताबिक बेच दिया है इसका कुल मूल्य ₹70000 रू0 पायी। उसमें दशमी देवी का ठेपा निशान है। दिनांक 08.10.2002 है संजय चीक हस्ताक्षर 08.10.2002, आवेदक ललू चीक दिनांक 08.10.2002 का हस्ताक्षर है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि विक्रेता दषमी देवी सामान्य जाति का महिला है। वह हिन्दु कानुन के अनुसार महिला को जमीन बिकी करने का हक है, इसलिए वर्ष 2002 में बिकी की गई रजिस्ट्री पट्टा जायज है। इसलिए आवेदक का आवेदन को खारीज किया जाय।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 रजिस्ट्री पट्टा की छाया प्रति।
4 ऑनलाईन रसीद की छाया प्रति।
5 जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
6 मुंसफ कोर्ट TS No. – 12/02 के आदेश की छायाप्रति।
7 दोनों पक्षों के बीच हुये सुलहनामा की छायाप्रति।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, कागजात, दस्तावेजो की छायाप्रति के अवलोकन एवं बहस से स्पष्ट होता है कि वाद्‌गत भूमि मौजा लोंगा के खाता सं0 63, प्लॉट सं0 495, रकबा – 0.57 एकड़ से संबंधित है। विकेता के खतियान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनका जाति चीक कौम दर्ज है। आवेदक लुल बड़ाईक को जाति प्रमाण पत्र जो कि अंचल अधिकारी, बसिया के कमांक 516 दिनांक 05.04.2002 द्वारा निर्गत है के अनुसार चीक जाति जो सामान्य जाति अन्तर्गत आता है । इस आधार पर वादगत भूमि का निबंधन एवं नामांतरण छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 46 अन्तर्गत उपायुक्त के अनुमति के बिना किया गया।

अतः विक्रेता दशमी देवी, पति – स्व0 जोधा चीक जो कि आवेदक की माता है द्वारा सामान्य जाति के आधार पर निबंधित बिक्री पट्टा सं0 705 दिनांक – 03.04.2002 द्वारा वादगत भूमि की

बिक्री / हस्तान्तरण द्वितीय पक्ष के पित – अमृत सा ु को किया गया। तदोपरांत अंचल कार्यालय, बसिया द्वारा दाखिल खारीज वाद संख्या 116R 2 7/2003–04 वादगत भूमि का नामांतरण किया गया एवं शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। द्वितीय पक्ष को सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया। बाद में झारखंड सरकार राजभाषा विभाग रांची के पत्रांक – 7 / झा0नि0सं0 32 / 2000 का 6327 / रॉची दिनांक 20 नवम्बर 2022 ई० में एवं उपायुक्त, गुमला के पत्रांक – 275 (ii) / सा०शाखा, गुमला दिनांक – 10.04.2013 के आलोक में स्थानीय जांच, रहन–सहन, वेश–भूषा खान–पान, लोकाचार तथा संस्कृति के आधार पर आवेदक ललु बड़ाईक को झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति में चीक बड़ाईक जाति प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी, बसिया द्वारा क्रमांक– 079 दिनांक – 26.10.2015 को निर्गत किया गया। परन्तु वादगत भूमि के बिक्री के समय बिक्रेता (प्रथम पक्ष) सामान्य जाति के थे एवं क्रेता (द्वितीय पक्ष) द्वारा वैध तरीके से निबंधित विक्रय पट्टा, नामांतरण कराकर भूमि के दखल में है। अतः यह वादगत भूमि के कपटपूर्ण ढंग से हस्तानांतरण का मामला सिद्ध नहीं होता है । अतः प्रथम पक्ष ललु बड़ाईक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बसिया (गुमला)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बसिया (गुमला)।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, बसिया को सूचनार्थ प्रेषित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बसिया (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.15 12:35:30 +05:30
Location: 192.168.1.10